राजस्थान संगठति अपराध का नयिंत्रण वधियक-2023 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई, 2023 को राजस्थान वधिानसभा में राजस्थान संगठति अपराध का नयिंत्रण वधियक-2023 पर चर्चा के बाद सदन ने वधियक को ध्वनमित से पारति कर दयिा।

प्रमुख बदिु

- यह वधियक प्रदेश में संगठति अपराधों पर रोक लगाने तथा पुलसि को सशक्त बनाने के लयि लाया गया है। इस अधनियिम के प्रावधान राज्य में संगठति अपराध को नयिंत्रति करने में कारगर साबति होंगे।
- वधियक में अपराधयिों द्वारा अर्जति संपत्तकिो जब्त करने के साथ ही वशिष न्यायालयों की स्थापना एवं वशिष लोक अभयिोजकों की नयिुक्तकिरने के प्रावधान कयि गए हैं, ताकमिुकदमों का शीघ्र नस्तिारण हो सके। इसमें अपराधयिों की जमानत एवं अग्रमि जमानत नहीं होने के भी प्रावधान कयि गए हैं।
- संसदीय कार्य मंत्री शांतकिुमार धारीवाल ने बताया करािज्य में अपराध की प्रवृत्तयिों के अध्ययन से यह प्रकट हुआ है कपिछिले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव आया है। आपराधकि गरिोहों ने शूटर, मुखबरि, गुप्त सूचना देने वाले और हथयिार आपूर्तकिर्ताओं के साथ मलिकर संगठति नेटवर्क स्थापति कर लयि हैं।
- ये संगठति गरिोह मुख्य रूप से कॉन्ट्रेक्ट कलिगि, व्यवसाययिों को धमकी देकर फरिौती मांगने, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में लप्ति हैं। ये गरिोह कानून और प्रक्रयिा के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं का लाभ उठाते हुए अपराध करने के लयि अभरिक्षा से रहिा भी हो जाते हैं। कुछ समय से इन अपराधयिों ने जनता में डरावनी छवबिना ली है। इसलयि इन अपराधयिों से प्रभावी ढंग से नपिटने के लयि आवश्यक कठोर कानून की यह वधियक पूर्तकिरेगा।
- इस अधनियिम की धारा-28 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को वशिष न्यायालयों के संबंध में नयिम बनाने की शक्तयिाँ प्रदान की गई हैं। वहीं धारा-29 के अंतर्गत राज्य सरकार अधनियिम के प्रयोजनों को क्रयिान्वति करने के लयि नयिम बना सकेगी।
- दंड प्रक्रयिा संहतिा की धारा-5 के अंतर्गत राज्य सरकार वशिष प्रक्रयिा के कानून बना सकती है, जसिके अंतर्गत यह वधियक लाया गया है। इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है। पूर्व में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात में इस तरह के कानून लागू कयि जा चुके हैं।
- इससे पूर्व जनमत जानने हेतु वधियक को परचिालति करने का प्रस्ताव सदन ने ध्वनमित से अस्वीकार कर दयिा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-control-of-organized-crime-bill-2023-passed-by-voice-vote